भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:सार्वजनिक सूचना

Reference No.:IRDA/CAD/MISC/PRE//08/2019 **Date:**09/09/2019

छल-कपटपूर्ण फोन काल और फ़र्जी / धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्ताव

सार्वजनिक सूचना

सं. आईआरडीएआई/सीएडी/विविध/पीआरई/08/2019 9 सितंबर 2019

विषयः छल-कपटपूर्ण फोन काल और फ़र्जी / धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्ताव

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को यह जानकारी मिली है कि जनसाधारण के सदस्य अपरिचित व्यक्तियों से छल-कपटपूर्ण फोन काल प्राप्त कर रहे हैं जो स्वयं को आईआरडीएआई / समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस) के अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करते हुए फ़र्जी और धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्ताव करते हैं। इस प्रकार काल करनेवाले ऐसे नामों का प्रयोग करते हैं जैसे बीमा लेनदेन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अथवा वर्तमान सरकारी एजेंसियों का कोई नाम अथवा किसी अस्तित्वहीन फ़र्जी संस्था का नाम।
2. उक्त टेलीफ़ोन कालों की कार्य-प्रणाली पालिसीधारकों की व्यपगत पालिसियों सहित मौजूदा जीवन बीमा पालिसियों में अवास्तविक लाभ प्रस्तावित करते हुए प्रारंभ होती है। इसके अलावा, उक्त काल करनेवाले व्यक्ति जनता को अत्यधिक लाभों के साथ आकर्षित करते हैं, जैसे अदावी बोनस, एजेंसी कमीशन आदि जिसका दावा वे कर सकते हैं जो शुल्क / अग्रिम कर / जमाराशि के प्रारंभिक भुगतान अथवा कुछ लाभ खाता आदि खोलने के लिए किसी अन्य नाम से भुगतान के अधीन है। ऐसे सभी प्रस्ताव फ़र्जी प्रस्ताव हैं क्योंकि बीमा कंपनी अथवा उसके प्रतिनिधि अथवा बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्ती पालिसी के दायरे से अधिक कोई लाभ प्रस्तावित नहीं कर सकते। बीमा पालिसियाँ केवल वे ही लाभ उपलब्ध करा सकती हैं जो पालिसी अनुसूची में और/या पालिसी दस्तावेज में निर्धारित शर्तों में उल्लिखित हैं।
3. इस संबंध में विशेष रूप से पालिसीधारकों और सामान्य रूप से जनसाधारण के सदस्यों को इसके द्वारा सचेत किया जाता है किः

- आईआरडीएआई/आईजीएमएस किसी भी प्रकार के बीमा अथवा वित्तीय उत्पादों के विक्रय में सीधे अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से संबद्ध नहीं है।
- आईआरडीएआई/आईजीएमएस बीमा कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रीमियम का निवेश नहीं करता।
- आईआरडीएआई/आईजीएमएस पालिसीधारकों अथवा बीमाकर्ताओं के लिए किसी बोनस की घोषणा नहीं करता।
- आईआरडीएआई अथवा शिकायत प्रबंध से संबंधित उसके अधिकारी आईआरडीएआई के पास दर्ज कराई गई शिकायतों के संबंध में कोई फोन काल नहीं करते क्योंकि आईआरडीएआई केवल एक सहायक भूमिका अदा करता है और ऐसी शिकायतों के संबंध में कोई न्याय-निर्णय नहीं करता।
- यदि कोई व्यक्ति किसी भी झूठे वादे से युक्त, जैसे आईआरडीएआई/आईजीएमएस द्वारा अथवा किसी बीमाकर्ता द्वारा बोनस, उपचित कमीशन अथवा किसी निधि के निर्मोचन (रिलीज़) से युक्त आईआरडीएआई/आईजीएमएस का कोई दस्तावेज/पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) दिखाता है तो वह जाली दस्तावेज/पत्र-शीर्ष है।
- यदि कोई व्यक्ति आईआरडीएआई/आईजीएमएस के पहचान-पत्र के साथ संपर्क करता है तथा बीमा उत्पादों की बिक्री का प्रस्ताव करता है अथवा धनराशि या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता है तो वह एक कपटी व्यक्ति है क्योंकि वह न तो कोई बीमा अथवा वित्तीय उत्पाद बेच सकता/सकती है और न उसके लिए प्रचार कर सकता/सकती है।
- ऐसे व्यक्तियों/एजेंटों के साथ किसी प्रकार का लेनदेन करनेवाला कोई भी व्यक्ति ऐसा लेनदेन अपने स्वयं के जोखिम पर करेगा।

4. आईआरडीएआई पुनःएक बार जनता से अनुरोध करता है कि वे सतर्क रहें और पाखंडियों द्वारा की जानेवाली धोखाधड़ियों अथवा घोटालों का शिकार न बनें जो आईआरडीएआई, आईजीएमएस, आरबीआई, सरकारी विभागों अथवा बीमा कंपनियों के कर्मचारी/अधिकारी होने का ढोंग करते हैं। आईआरडीएआई सूचित करता है कि टेलीफोन पर की गई बातचीत के आधार पर कोई वित्तीय लेनदेन करने से पहले यह आवश्यक है कि काल करनेवाले की पहचान का सत्यापन कर लिया जाए। तथ्यों का सत्यापन बीमा कंपनियों के प्राधिकृत कार्यालयों / काल सेंटरों से किया जा सकता है। प्राधिकृत काल सेंटरों के टेलीफोन नम्बरों का सत्यापन पालिसी दस्तावेजों/ बीमाकर्ता की आधिकारिक वेबसाइटों से किया जा सकता है।
5. आईआरडीएआई परामर्श देता है कि यदि जनसाधारण का कोई सदस्य ऐसे दृष्टांत देखता है, तो वह टेलीफोन काल करनेवाले व्यक्ति के ब्योरे के साथ पूरा विवरण देते हुए तथा उस टेलीफोन संख्या को सूचित करते हुए जहाँ से काल प्राप्त किया गया हो, स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए।

उपभोक्ता कार्य विभाग